



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1139/2026

रमेश चंद्र और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक, अजय कुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि (क) याचिकाकर्ताओं के दिनांक 14.08.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश, नियम या निर्देश जारी किया जाए; (ख) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य और उपयुक्त रिट, आदेश, नियम या निर्देश जारी करना; (ग) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत का भुगतान करने का आदेश देना, क्योंकि इसमें अंतर्निहित तकनीकी खामी है, और उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देना।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"